कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक – शिविरा–माध्य/छाप्रोप्र/बी/विपूमैछा/आवंटन/2019–20 दिनांक – 16.7.19

:: परिपत्र ::

राज्य में अनुसूचित जाति (SC)/अनुसूचित जनजाति (ST)/अति पिछड़ा वर्ग (MBC) के विद्यार्थियों के शैक्षिक विकास एवं कल्याण हेतु **विशेष पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना (देवनारायण गुरूकुल योजना सहित)** संचालित हैं। योजनान्तर्गत प्रतिवर्ष राज्य के चयनित निजी उच्च प्रतिष्ठित विद्यालयों में प्रवेश परीक्षा के माध्यम से निर्धारित प्रक्रिया द्वारा चयन पश्चात निश्चित संख्या में विद्यार्थियों को कक्षा–6 में प्रवेश दिया जाता है।

सत्र **2019–20** में योजनान्तर्गत पूर्व में अध्ययनरत विद्यार्थियों के विद्यालय परिवर्तन के प्रार्थनापत्र विभिन्न माध्यमों से इस कार्यालय को प्राप्त हुए, जिनके सम्यक विश्लेषणोपरान्त नियत मापदण्डों – इच्छित संकाय अथवा विषय उपलब्ध ना होना, जिस माध्यम में अध्ययन करना चाहता है वह माध्यम उपलब्ध ना होना, BSER, Ajmer अथवा CBSE जिस बोर्ड से परीक्षा देना चाहता है की उपलब्धता ना होना, के आधार पर विद्यालय परिवर्तन के आदेश जारी किए जा चुके हैं।

चूंकि नवीन शिक्षा–सत्र प्रारम्भ हो चुका है अतः समस्त अभिभावकगण सूचित हों कि विद्यालय परिवर्तन के प्रार्थनापत्र आज दिनांक के पश्चात इस कार्यालय द्वारा स्वीकार नहीं किए जाएंगे। वे अपने पुत्र–पुत्रियों को आवंटित विद्यालयों में अपना ध्यान पठन–पाठन में केन्द्रित करने की हिदायत देवें ताकि विद्यार्थियों का अध्ययन–अध्यापन सुचारू रूप से चल सके।

(नथमल डिडेल)
IAS
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप–6) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक–मुख्यालय को समुचित प्रबोधनार्थ।
3. अनुभाग अधिकारी, कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय हाजा को विभागीय वैबसाईट पर अपलोड करने बाबत।
4. रक्षित पत्रावली।

(संजय सेंगर)
प्रभारी अधिकारी छात्रवृति
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

Scanned by CamScanner